14/3/17 वकील पक्षकारान उपस्थित बहस सुनी [illegible]
प्रार्थी पत्रावली वास्ते बहस दि. 27/3/17
को पेश हो।

ह.

27/3/17 वकील पक्षकारान उपस्थित बहस करना चाहिए
किया। वकील पक्षकारान की बहस
को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश
दि. 10/4/17 को पेश हो।

ह.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

10/4/17 वकील पक्षकारान उपस्थित बाद बहस
[illegible] का वाद [illegible] [illegible]
[illegible] रूप से स्वीकार किया जाकर
निर्णय पारित किया जाता है। डिक्री [illegible]
पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल
[illegible] [illegible] है। पत्रावली [illegible]
[illegible] दाखिल दफ्तर की जावे।

ह.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 03/2017

वाद दायरी दिनांक : 02/01/2017

निर्णय दिनांक : 10/4/17

1. रामेश्वरी उर्फ मीरा पुत्री लक्ष्मण पत्नि महराम उम्र 45 साल जाति जाट निवासी ग्राम सावरदा तहसील मौजमाबाद हाल निवासी जाजुन्दो की ढाणी ग्राम गैजी तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

—— वादीया

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र कल्ला उम्र 73 साल जाति जाट निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 (फौत)
   1/1 श्रीमती भूली धर्मपत्नी स्व0 लक्ष्मण, जाति जाट निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. सुगना पुत्री लक्ष्मण पत्नि हरकरण उम्र 42 साल जाति जाट निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद हाल निवासी जाजुन्दो की ढाणी गैजी तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
3. सरदार चौधरी पुत्र हरकरण उम्र 22 साल जाति जाट निवासी जाजुन्दो की ढाणी गैजी तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
4. सबरजिस्ट्रार महोदय तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
5. तहसीलदार महोदय तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

—— प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र गुर्जर
श्री महेन्द्र सिंह नाथावत
विद्वान अधिवक्ता वादीया

श्री नानूराम धाभाई
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 2 व 3

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 10/4/17

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)

Scanned by CamScanner

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 497 के आराजी खसरा नम्बर 374 रकबा 0.8300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 5.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 383 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 385 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 386 रकबा 1.3300 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 8.2700 हैक्टेयर वाके ग्राम सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर मे स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 324, 325, 329, 332, 333 है जिसमे वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मण का 1/3 हिस्सा दर्ज है उक्त आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक आराजीयात है। उक्त आराजीयात का पर्चा वादीया के दादा कल्ला पुत्र धन्ना के नाम से आया था इसलिए उक्त आराजीयात में वादीया का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/9, 1/9 हिस्सा बनता है। वादीया उपर्युक्त आराजीयात में 1/9 हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात को आगे विवादित आराजीयात से सम्बोधित किया गया है। सजरा दर्ज करते हुये बताया कि पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की मौरूशी मुश्तर्का सम्पत्ति है। विवादित आराजीयात मौरूशी मुश्तर्का आराजीयात होने से वादीया का बाइ बर्थ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हक व हिस्सा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का पिता है उसके दर्ज हिस्से 1/3 मे वादीया का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा कानूनन निहित है एवं सम्पूर्ण आराजी मे वादीया का हिस्सा 1/9 है प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा था व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मण जो कि सीधा साधा एवं बुजुर्ग व्यक्ति है जो बीमार रहता है जिसे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने बहला फुसलाकर षडयंत्र रचकर अपने जाल मे फंसा रखा है जिसे वादीया ने कई मर्तबा समझाया बुझाया परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बाज नही आये एवं प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मण को वादीया के प्रति भडकाते रहते है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मां बेटे है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मण के नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजी को येनकेन करके हडपना चाहते है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मण को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर रखा है एवं वादीया के प्रति गलतफहमी पैदा कर रखी है ताकि वादीया से दुरिया बनी रहे। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 1

Scanned by CamScanner

व 2 अपने पुरे प्रभाव मे कर रखे है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादीया को धमकी दी है कि हम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी सम्पूर्ण को अपने नाम लगवाकर ही दम लेंगे तब वादीया ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की खरीदी हुई आराजी नही होकर विरासत से प्राप्त आराजी है इसलिए आप अकेले सम्पूर्ण आराजी नाम नही लगा सकते है इसमे मेरा भी 1/3 हिस्सा है। दिनांक 27/12/2016 को प्रतिवादी संख्या 3 ने वादीया को धमकी दी है कि विवादित आराजी का दान पत्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आज मेरे पक्ष मे निष्पादित कर दिया गया है मैं शीघ्र ही नामान्तरकरण मेरे पक्ष में खुलवाकर यथाशीघ्र बेचान करूंगा और तुम्हे बेदखल करेंगे। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दी गई धमकी की सत्यता के लिये वादीया ने तहसील कार्यालय जाकर नकले ली तो वादीया को सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी हुई एवं पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजी का दान पत्र जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे पंजीबद्व करवा दिया गया है उससे प्रतिवादी संख्या 3 को कोई विधिक अधिकार सजृित नही होते है विवादित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमें वादीनी का 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के समान बराबर हक व हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 1/3 में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1/9 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे दान पत्र रजिस्टर्ड करवा सकता था। वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 27/12/2016 को प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे किया गया है दान पत्र वादीया के हक एवं हिस्से तक नल एण्ड वोइड है जिसका वादीया के विधिक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है एवं वादीया के हक व हिस्से तक नल एण्ड वोइड बातिल व बेअसर एवं प्रभावशून्य है। दान पत्र दिनांक 27/12/2016 मे वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी ना होकर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक आराजी है इसलिए भी प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजी का दान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित विवादित आराजी मे प्रतिवादी संख्या 1 का पैत्रिक आराजी होने से 1/9 हिस्सा था जो दिनांक 27.12.2016 को दान पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में करने से प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के सम्पूर्ण दर्ज हिस्से का मालिक व स्वामी नही होकर मात्र 1/9 हिस्से का ही मालिक व स्वामी हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 का अब 1/9 हिस्सा नही रहा हैं। विवादित आराजी में वादीया 1/9

Scanned by CamScanner

हिस्सा की एवं प्रतिवादीया संख्या 2 का 1/9 हिस्सा एवं दान-पत्र प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित होने से प्रतिवादी संख्या 3 का 1/9 हिस्सा विधिक रूप से हैं, इसलिये उक्त वाद-पत्र पेश किया गया हैं।

वादीया ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि आराजी खतोनी संख्या 497 के आराजी खसरा नम्बर 374 रकबा 0.8300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 5.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 383 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 385 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 386 रकबा 1.3300 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 8.2700 हैक्टेयर वाके ग्राम सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर मे स्थित है, जिसमें वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/9, 1/9, 1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं तथा दिनांक 27/12/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया गया दान पत्र पैत्रिक आराजीयात होने से वादीया के हक व हिस्से 1/9 तक नल एण्ड बोईड, बातिल बेअसर व प्रभावशुन्य है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीया के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे ना अन्य से करावे न ही रहन बेय, मुन्तकिल विक्रय आदि करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 31/01/2017 को वादीया की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0 दी0 पेश हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादीया ने संशोधित शीर्षक पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1/1, 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नानूराम धाभाई ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1/1, 2 व 3 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 08/02/2017 को वादीया ने गवाह पी.डब्ल्यू 1 रामेश्वरी, पी.डब्ल्यू 2 भंवरलाल, पी.डब्ल्यू 3 रमेश के शपथ-पत्र पेश होने पर शामिल पत्रावली किये गये। शपथ-पत्रों पर बयान लिये गये। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी खाता संख्या 497 वाके ग्राम सावरदा, सत्य प्रतिलिपी दान–पत्र दिनांक 27/12/2016, सत्य प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल, सत्य प्रतिलिपी पर्चा सैटलमेन्ट व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद–पत्र में वर्णित आराजीयात का पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत् 2011 से वादीया के दादा कल्ला पुत्र धन्ना के नाम से आया। अतः वाद–पत्र में वर्णित आराजीयात के पैतृक होने की पुष्टि होती है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मण पुत्र कल्ला का 1/9 हिस्सा ही बनता है एवं वह अपने 1/9 हिस्से तक ही किसी प्रकार का अन्तरण/निष्पादन कर सकता था। प्रस्तुत वाद–पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जो दान–पत्र निष्पादित करवाया गया है वह उसके हिस्से से अधिक करवाया गया जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। प्रतिवादी संख्या 1 का स्वर्गवास हो गया है एवं जिसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 1/1 के रूप में मौजूद है, पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत कर दान–पत्र दिनांक 27/12/2016 को प्रभावहीन एवं शून्य घोषित करवाकर वादग्रस्त आराजीयात में लक्ष्मण पुत्र कल्ला के नाम से दर्ज आराजीयात में वादीया को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/1 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने हेतु सहमति दी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 जिसके हक में दान–पत्र किया गया था उसका वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार से हक व हिस्सा नही होने बाबत अंकित किया गया है, साक्ष्य गवाहान पी.डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–2, पी.डब्ल्यू–3 ने भी वादीया के वाद की ताईद की है, परन्तु दान–पत्र व राजीनामा का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 लक्ष्मण द्वारा अपने 1/9 हिस्से से अधिक हिस्से का दान–पत्र के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया एवं अब पुनः प्रतिवादी संख्या 3 उक्त दान–पत्र को शून्य कहते हुये दान–पत्र से प्राप्त समस्त आराजीयात को वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 व 2 को देना चाहता है। यह कानूनी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मौरूसी सम्पत्ति होने की वादग्रस्त आराजी में स्व0 लक्ष्मण का 1/9 हिस्सा बनता है जिसमें उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 1/1 का भी हिस्सा निहित था शेष 2/9 हिस्सा क्रमशः वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 का बनता है।

Scanned by CamScanner

यदि स्व0 लक्ष्मण द्वारा अपने 1/9 हिस्से तक ही दान–पत्र किया जाना कानूनी दृष्टि से उचित था तो यह भी उचित प्रतीत होता है कि स्व0 लक्ष्मण के 1/9 हिस्से में ही प्रतिवादी संख्या 1/1 का हिस्सा निहित था जिसे प्रतिवादी संख्या 3 जरिये राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1/1 को नहीं दे सकता। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति प्रतीत नही होती हैं।

अतः वादीया का वाद बरूये राजीनामा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 374, 375, 383, 385, 386 कुल किता 05 कुल रकबा 8.2700 हैक्टेयर वाके ग्राम सावरदा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के स्व0 लक्ष्मण पुत्र कल्ला के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में वादीया को 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष 1/3 हिस्सा मुताबिक दान–पत्र प्रतिवादी संख्या 3 के नाम रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10/4/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), दूदू

Scanned by CamScanner

(डिग्री मुकद्दमा इब्तदाई)

न्यायालय नायब तहसीलदार (सर्किल केकड़ी) द्वारा जिला कलक्टर (राज.)
श्री [illegible] आर ए एक्ट
मुकदमा नं. ... नाम ... 1. [illegible]
... 45 ... [illegible] निवासी ...
... पता ... [illegible]
... 07/2012 ... श्रीमती [illegible]
श्री राजेन्द्र [illegible] ... [illegible]
निम्नलिखित ... श्री नाथूराम [illegible]
निम्नलिखित मुकदमा ...

अतः वादी का वाद [illegible] आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात ख.नं. 374, 375, 383, 385, 386 कुल 05 खेत रकबा 8.2700 है० वाके ग्राम [illegible], तह० [illegible], जिला [illegible] को [illegible] के नाम दर्ज 1/3 हिस्से के [illegible] को 1/3 हिस्सा प्रतिवादी क्र. 2 को 1/3 हिस्सा का खातेदार [illegible] घोषित किया जाता है। शेष 1/3 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी क्र. 3 के नाम रहेगा।

बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 4 सन 2012 को जारी की गई।

नायब तहसीलदार
(सर्किल केकड़ी)

दस्तखत ...

ओहदा ...

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
			स्टाम्प अर्जी दावा		
			स्टाम्प अर्जी		
			महन्ताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
... कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
... इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
... फरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner